BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st May 2017 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव के साथ चैम्बर में बैठक आयोजित

सदस्यों को सम्बोधित करते पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डी. के. शुक्ला एवं प्रबंध निदेशक बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड श्री एस. एस. चौधरी।
दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

चैम्बर के सभागार में दिनांक 08 मई, 2017 को पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी जिसकी अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की। इस बैठक में पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डी० के० शुक्ला, प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि०, श्री एस० एस० चौधरी तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव श्री आलोक कुमार के साथ -साथ पर्यावरण एवं वन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अन्य वरीय पदाधिकारीगण ने भाग लिया। बड़ी संख्या में चैम्बर सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने गण्यमान्य अतिथियों तथा चैम्बर सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि मैं श्री विवेक कुमार सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि चैम्बर के अनुरोध पर राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को पर्यावरण एवं वन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के विभिन्न योजनाओं, नियमों एवं प्रावधानों में हुए परिवर्तन / संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु हमारे बीच पधारने की कृपा की है।

उन्होंने आगे कहा कि चैम्बर की काफी दिनों से ये इच्छा थी कि ऐसी Interactive Meeting का आयोजन कराया जाये क्योंकि Pollution Control Board के कुछ नियम कानूनों में बदलाव किये गये हैं तथा सिस्टम को आई. टी. आधारित बनाया गया है, शुल्कों में भी वृद्धि की गयी है जिसकी पूर्ण जानकारी उद्यमियों एवं संबंधित व्यक्तियों तक पूरी तरह से नही पहुँच पायी है। आशा है कि आज की बैठक में इन मुद्दों पर प्रकाश डाला जायेगा। उन्होंने वन विभाग तथा पर्षद से आग्रह किया कि इन जानकारियों को एकत्र कर बुकलेट के रूप में प्रकाशित कर circulate कराया जाये। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक से उद्यमी एवं व्यवसायी काफी लाभान्वित होंगे तथा उनके मन में जो भी आशंकाएं होगी वह पर्यावरण एवं वन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पदाधिकारियों के समक्ष रखेंगे जिससे कि उनकी आशंकाओं का हल हो सके।

इण्डस्ट्री उप-समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी द्वारा चैम्बर का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न हैं:-

विभाग द्वारा E-Forest Mandi नामक मोबाईल ऍप तैयार कराया जा रहा है। जिसके माध्यम से बिहार के विशिष्ट पेड़-पौधों की प्रजातियों की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही इससे वृक्षारोपण अभियान को काफी बल मिलेगा एवं औषधीय पौधों के उपज को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। कृषक एवं अन्य इस ऍप के माध्यम से वन विभाग से पौधों का क्रय कर पायेंगे साथ ही अपने उत्पादों का विक्रय भी विभाग को कर सकेंगे। वन विभाग से संबंधित नियम कानून की जानकारी भी इस ऍप के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगी तथा इसके माध्यम से नई तकनीकी जानकारियाँ भी प्राप्त की जा सकेंगी। हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि E-Forest Mandi APP वानिकी के समुचित विकास में काफी सहायक साबित होगी। साथ ही इससे कृषकों एवं अन्य संबंधित लोग लाभान्वित होंगे। हम विभाग को ऐसे उपयोगी ऍप बनाने के लिए साधूवाद देते हैं।

वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार ने पर्यावरण की स्वच्छता बरकरार रखने, Bio- Ecological Cycle के पर्याप्त प्रोत्साहन एवं वन, वन-संपदा आदि के संरक्षण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जो कि स्वागतयोग्य है। विभाग द्वारा मासिक पत्रिका गौरैया का भी प्रकाशन किया जाता है। यह पत्रिका बहुत ही

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

हम सभी व्यवसायी बन्धुओं के लिये इस समय वस्तु एवं सेवा कर (GST) सबसे ज्वलंत विषय है। मैंने अपने पिछले माह के बुलेटिन में भी इस विषय पर चर्चा की थी। इसी क्रम में आगे कहना चाहूँगा कि अब जबकि विभिन्न वस्तुओं पर GST कर की दरें GST काउंसिल ने अपने श्रीनगर की बैठक में निर्धारित कर दिया है और 1211 वस्तुओं में से 6 को छोड़कर शेष सभी पर 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी एवं 28 फीसदी की श्रेणी में रखा है, तब सभी अपने व्यवसाय के संभावित दर एवं उनसे पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में लगे हैं ।

इस प्रकार नई व्यवस्था में अनाज, दूध, दही, हेयर आयल, टुथपेस्ट, साबुन और कोयले की कीमत में कीमत में कमी आयेगी, ऐसा अनुमान है क्योंकि इन्हें GST की चार दरों में सबसे कम वाले दर 5% की श्रेणी में रखा गया है। कोयले पर अबतक 11.69 फीसदी कर देना होता था जो अब घटकर 5% की श्रेणी में है। यह बहुत ही राहत की बात है। हेयर आयल, टुथपेस्ट, साबुन आदि पर भी 22 से 24 फीसदी कर की देयता अभी है, जो घटकर 5 फीसदी के दायरे में आ जायेगी। 17 फीसदी वस्तुओं को 12 फीसदी, 43 फीसदी को 18 फीसदी और मात्र 19 फीसदी वस्तुओं को ही 28 फीसदी की दायरे में रखा गया है। विभिन्न संगठनों ने भी रोजमर्रा की वस्तुओं के सस्ते होने का अनुमान लगाया है।

चैम्बर GST पर अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन हेतु पूरा प्रयास कर रहा है। अभी तक 5 कार्यशालायें–सह–प्रशिक्षण सत्र आयोजित की जा चुकी हैं और जून माह में ऐसे ही और कार्यशालायें आयोजित करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं में कौशल संवर्द्धन एवं उनके स्वावलम्बन हेतु बिहार चैम्बर द्वारा स्थापित निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अभी तक 1541 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। पूर्व में करीब 1000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा वितरित किया जा चुका है। दिनांक 3 जून, 2017 को 551 महिलाओं को माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी के कर–कमलों द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

आपका

पी० के० अग्रवाल

ज्ञानवर्द्धक है तथा इसमें वन एवं पर्यावरण से संबंधित नवीनतम जानकारियाँ संकलित रहती है।

1. राज्य सरकार ने पिछले समय में सहमति शुल्क (Consent Fee) तथा एन.ओ.सी. शुल्क में काफी बढ़ोतरी की है। इस शुल्क को तय किये जाने का आधार पूंजीगत निवेश (Capital Investment) को बनाया गया है जिसमें भूखण्ड, भवन तथा प्लांट एवं मशीनरी में किया गया निवेश समाहित है। उद्योगों की परिभाषा में Capital Investment में केवल Plant & Machinery को ही Consider किया जाता है। अत: सहमति शुल्क तथा एन.ओ.सी. शुल्क हेतु उद्योगों के प्लांट एवं मशीनरी के निवेश को ही आधार मानना चाहिए। अत: हमारा विनम्र निवेदन होगा कि सहमति शुल्क तथा एन.ओ.सी शुल्क आधारित करते समय प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश को ही आधार बनाकर इन शुल्कों को लिया जाये।

निम्न तालिका से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है:–

जल (प्रदूषण निवारण एव नियमंत्रण) नियमावली – 1986 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क काफी अधिक है। इसमें कमी की आवश्यकता है:–

उद्योगों का विवरण	पूर्व में निर्धारित वार्षिक शुल्क	5 साल में देय शुल्क पुराने रेट से	वर्त्तमान में 5 साल के लिए देय शुल्क
25 लाख तक पूंजी निवेश			9000
25 लाख से 5 करोड़ तक पूंजी निवेश	2000	10000	35000
5 करोड़ से 10 करोड़ तक पूंजी निवेश	5000	25000	60000
10 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक पूंजी निवेश	10000	50000	90000
50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश	10000	50000	225000

2 वर्त्तमान में Application एवं Consent Fee ऑन लाईन माध्यम से जमा करने की व्यवस्था है। परन्तु काफी आवेदक ऐसे होते है जिन्हें IT में पूर्ण दक्षता नही होती और इस कारण से वे ऑन लाईन माध्यम से आवेदन अथवा सहमति शुल्क ससमय नही जमा कर पाते हैं। अत: हमारा आग्रह होगा कि एक alternative व्यवस्था कुछ समय के लिए किया जाये। जिससे की पूर्व की भाँति हार्ड कॉपी में Application तथा Demand Draft के रूप में सहमति शुल्क जमा किया जा सके। बाद में इन्हें पर्षद ऑन लाईन अपलोड करा सकता है। इससे आवेदकों की परेशानी कम हो जायेगी।

3 हमें ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सहमति शुल्क यदि आवेदक द्वारा कम जमा किया जाता तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि ऐसे आवेदकों से Difference Amount की अलग से मांग कर आवेदन को रद्द होने से बचाया जा सकता है।

हमे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व में Consent to Operate (CTO) तथा Consent to Establish (CTE) एवं एन.ओ.सी. के काफी मामले लंबित थे, परन्तु आपके निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप इनमें से काफी अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। हमें पूर्ण आशा है कि पर्षद ऐसी ही कार्यशीलता अपनाते हुए सभी मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करने में सफल रहेगा।

4 Central Pollution Control Board द्वारा Water & Air Pollution Control Board के तहत् इण्डस्ट्रीज का पुनरीक्षित वर्गीकरण कर इन्हें Red, Orange, Green एवं White श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा आग्रह है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा Central Pollution Control Board के ही तर्ज पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाये तथा उक्त संबंधित अधिसूचना शीघ्रातिशीघ्र जारी की जाये।

5 पर्षद द्वारा वर्त्तमान में लिया जा रहा Water Cess काफी अधिक है जिससे लघु उद्योग काफी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि वैसे लघु उद्योग जो सरकार द्वारा approved इण्डस्ट्रीयल एरिया में काम कर रहे हैं उन्हें इस शुल्क से मुक्त रखा जाये। यदि कोई ईकाई 20 KL प्रतिदिन से अधिक जल का उपयोग करता है तो उन्हें Water Cess जमा करने का पात्र माना जा सकता है।

पर्षद को Municipal Corporation, Railway के प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों से भी Water Cess की वसुली करनी चाहिए।

6 Environmental Clearance Notification 2006 की समीक्षा नितान्त आवश्यक है। राज्य सरकार को State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) के गठन का अधिकार प्राप्त है। चैम्बर

सरकार से अनुरोध करता है कि उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 3 की परिशिष्ट (VI) के तहत चैम्बर के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में SEIAA में शामिल किया जाये। हमारा स्पष्ट मत है कि उक्त प्राधिकार में सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जिनके पास किसी बड़ी/मंझोली औद्योगिक ईकाई में उच्च पद पर योगदान करने का कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो।

7 बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद के बोर्ड में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, परन्तु कुछ वर्ष पूर्व बोर्ड के पुर्नगठन में चैम्बर को शामिल नही किया गया। इस संबंध में हमने समय-समय पर पत्र के माध्यम से विभाग से आग्रह भी किया है। अत: हमारा साग्रह निवेदन है कि पूर्व की भाँति बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि को भी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के बोर्ड में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाये।

8 जब किसी औद्योगिक प्रोजेक्ट को Clearance प्राप्त हो जाये तो प्रोजेक्ट के 500 मीटर के परिधि को औद्योगिक प्रक्षेत्र घोषित करते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परिधि में कोई रिहाईशी मकान आदि नही बने। इसे सुनिश्चित करने के लिए Civic Authority को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए।

9 यहाँ हम बताना चाहेंगे कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की एक अपनी बहुत ही संपन्न लाईब्रेरी है जिससे अधिकतर लोग अवगत भी होंगे। विभाग से हमारा आग्रह होगा कि मासिक पत्रिका गौरैया के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागीय प्रकाशन की एक प्रति चैम्बर लाईब्रेरी हेतु भी भेजने की व्यवस्था करें।

10 Solid Waste Management, Bio-Medical Wastes, Electronic Wastes आदि पर पर्षद की स्कीमों का व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार कराया जाना चाहिए।

11 फतुहा, पाटलीपुत्र, बेला (मुजफ्फरपुर), हाजीपुर इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में Common Effluent Treatment Plant लगाने की बात काफी दिनों से चल रही है। लेकिन काम पूरा नही हुआ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

12 बिहार में वर्त्तमान में उद्योगों की संख्या काफी कम है जिसके कारण यहाँ Industrial Pollution अधिक नही है। Industries को Least Pollutant बनाये रखने के लिए पर्षद को Advisory Role अदा करना होगा जिससे कि बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और Pollution भी नहीं बढ़ेगा। पर्षद द्वारा औद्योगिक ईकाईयों को समय-समय पर Pollution Control से संबंधित Guidance उपलब्ध कराते रहने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि यदि किसी उद्योग द्वारा प्रदूषण हो रहा है तो उस उद्योग को बंद कर देना उचित समाधान नही है परन्तु उस उद्योग को उचित guidance देकर Pollution desired level तक लाया जाना चाहिए।

13 सरकार ने पारम्परिक ईंट-भट्ठे पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विशेष नियम बनाये हैं। न्यूनतम प्रदुषण हेतु आज Eco Bricks विकसित कर लिया गया है, परन्तु उपभोक्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में बिल्डर्स, अन्य गृह निर्माणकर्त्ताओं आदि को इसके बारे में अधिक जानकारी नही है। जिसके फलस्वरूप Eco Bricks उद्योग भी आगे नही बढ़ पा रहा है। अत: हमारा आग्रह है कि पर्षद द्वारा Eco Bricks के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। जिससे कि अधिकाधिक लोग इसका उपयोग कर सकें जिसके फलस्वरूप काफी हद तक प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगेंगे।

14 ऐसा अनुभव किया गया है कि आधारभूत संरचना के विकास कार्यों में कई बार Bihar State Pollution Control Board तथा Works Department में Proper Co-ordination के अभाव में Project बाधित हो जाता है। जिसके कारण संबंधित Projects के पूरा होने में अनावश्यक विलंब होता है तथा विभिन्न प्रकार की क्षति होती है। हमारा सुझाव है कि इस हेतु एक Institutional Mechanism तैयार किया जाये जिससे की Bihar State Pollution Control Board एवं संबंधित Works Departments के बीच समुचित समन्वय स्थापित हो ताकि Project Approval के समय ही सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर लिया जाये जिससे Project में कार्य के प्रगति के समय किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो।

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान ने अपने संबोधन में प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को बैठक में पधारने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि श्री सिंह के निरंतर प्रयास के फलस्वरूप बड़ी संख्या में पूर्व से लंबित Consent, NOC आदि के आवेदनों का निपटारा किया गया है। ऐसे लगभग 5000 आवेदन घटकर अब 500 से भी कम रह गये हैं। जिसके लिये प्रधान सचिव धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने आगे कहा कि Pollution Control Board द्वारा Consent, NOC आदि के आवेदन कतिपय कारणों से रद्द कर दिये जाने के पश्चात् आवेदक को नया आवेदन देने को कहा जाता है जो कि न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ऐसे आवेदकों को उनके आवेदन में सुधार करने को कहा जाना चाहिए तथा एक निश्चित समय सीमा के अन्तगर्त उनका निपटारा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुंकि Pollution Control Board ऑन लाईन सिस्टम को अपना चुका है अत: ऐसे में आवेदनों के निपटारे में अधिक विलंब का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदुषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करा देना कोई समाधान नही है वल्कि ऐसे उद्योगों से प्रदूषण नियंत्रित कराना सुनिश्चित करना ही सही हल है।

बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के प्रतिनिधि ने कहा कि भवनों के नक्शा पास कराने के समय ही Pollution Clearance Certificate की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संदर्भ में pre qualification criteria बनायी जा सकती है।

श्री रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि गेहुँ, धान आदि कि फसल कटने के बाद Wheat/Rice Straw को नष्ट करने के लिए बिहार में भी किसान इसे जलाने लगे हैं जिससे की प्रदूषण होता है, जबकि इन straw से इथनौल बनाया जा सकता है। अत: उन्होंने सुझाव दिया कि पर्षद उद्योग विभाग को ऐसी इथनौल बनाने वाली इकाईयों को प्रोत्साहित करने की अनुशंसा करे।

श्री जी.पी. सिंह ने कहा कि हाजीपुर EPIP में Common Effluent Treatment Plant आधा बन कर तैयार है इसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी औद्योगिक प्रांगणों में ऐसे प्लांट स्थापित होने चाहिए।

श्री सुबोध जैन ने कहा कि ऑटो रिक्शा, बस इत्यादि के द्वारा शहर में भारी प्रदूषण फैलाया जाता है अत: उन्होंने मांग की कि इन वाहनों की प्रदूषण जांच सख्ती से कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्लास्टिक की थैलियों के कारण पर्यावरण को काफी क्षति पहुँचती है अत: पर्षद को चाहिए कि प्लास्टिक के विनिर्माताओं की ईकाईयों को निर्धारित माईक्रान के प्लास्टिक उत्पादों के ही उत्पादन को सख्ती के साथ सुनिश्चित कराना चाहिए।

श्री किशोर कुमार अग्रवाल ने एस. के. पुरी स्थित चिल्ड्रेन पार्क की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि इस पार्क की बाउंड्री के पास भट्ठी जलायी जाती है जिससे धुआँ उठता है। उन्होंने आगे बताया कि पार्क के भीतर धूप-पानी से बचने के लिए शेड की व्यवस्था नही है तथा जमीन भी समतल नही है।

प्रधान सचिव, श्री विवेक कुमार सिंह, भा०प्र०से० ने अपने संबोधन में चैम्बर को कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बी.आई.ए. के अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारियों को भी बैठक में भाग लेने के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने चैम्बर के ज्ञापन का बिन्दुवार जवाब देते हुए निम्न सूचनायें दी :-

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निजी स्थलों पर भी योजना तैयार की गयी है। यदि 50 से अधिक पौधो ऐसे स्थलों पर लगाये जाए तो विभाग द्वारा पौधे मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उन्हें लगवाने की नि:शुल्क व्यवस्था भी की जायेगी। विभाग द्वारा ई-प्लान्टेशन ऍप भी तैयार किया जा रहा है जो कि अधिकाधिक वृक्षारोपण में सहायक होगा। इस ऍप में ई-पेमेन्ट की सुविधा भी रखी जा रही है जिससे कि ऑन लाईन क्रय-विक्रय सुगम हो सके। उन्होने चैम्बर सदस्यों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान करें।

ऑन लाईन NOC एवं consent system के बारे में चर्चा करते हुए प्रधान

सचिव ने कहा कि इस प्रणाली में कुछ teething problems अभी हैं जिनका सुधार किया जा रहा है। विभाग द्वारा falicitation centres खोले जायेंगे जिनके द्वारा छोटे से सुविधा शुल्क अदा किये जाने पर हर प्रकार की सहायता उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने जानकारी दी कि system का user friendly manual तैयार किया जा रहा है, साथ ही विभाग के द्वारा एक movie भी तैयार की जा रही है जिससे system को आसानी से समझा जा सकेगा। उन्होने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे अपना ईमेल एकाउन्ट अवश्य रखें जिससे कि विभाग हर स्तर पर ईमेल के द्वारा उनसे संपर्क कर सके। सहमति शुल्क के मुद्दे पर उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर विभाग विचार करेगा। वैसे ही water cess शुल्क के मामले में भी विभाग द्वारा विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया।

SEIAA समिति में चैम्बर के प्रतिनिधित्व के संबंध में उन्होने कहा कि इसका नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा निकाला जाता है फिर भी यदि कोई गुंजाईश हुई तो चैम्बर को इस समिति में शामिल करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने घोषणा की कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को पर्षद के बोर्ड में एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पर्षद द्वारा प्रकाशित मैगजिन, पुस्तकें आदि चैम्बर लाईब्रेरी को भेजी जायेंगी।

Common effluent treatment plant के संबंध में उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना का मामला बियाडा के जिम्मे है, परन्तु विभाग अपने स्तर से प्रयास करेगा कि यह प्लांट सभी इण्डस्ट्रीयल एरियाज में यथाशीघ्र स्थापित हो जाये।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा एक Pollution Intelligence Unit गठित की जा रही है जिसका मुख्य कार्य वैसी औद्योगिक ईकाईयों की पहचान करना होगा जो कि रेड और आरेन्ज श्रेणी में आती है, परन्तु जिन्होंने पर्षद से NOC अथवा सहमति नही प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि Fly Ash जो कि Eco friendly ईंट है उसका उपयोग बिहार सरकार के भवन आदि के निर्माण में mandatory कर दिया गया है। उन्होंने सलाह दी कि भवन निर्माता सरकारी निर्माण के समय इस ईंट को उपयोग में लाने के लिए अधिकारियों से अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।

उन्होंने घोषणा की कि पर्षद की एक बैठक प्रत्येक माह उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ रखी जायेगी।

उन्होंने जानकारी दी कि पर्षद द्वारा पटना सहित राज्य के सभी प्रमुख नगरों में अभियान चलाकर Commercial vehicles तथा अन्य गाडियों का pollution check कराया जायेगा।

महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

जीएसटी पर चैम्बर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

• जीएसटी के लिए प्रशिक्षण जरूरी • जीएसटीएन में पंजीयन के लिए एक जून से फिर खुलेगा पोर्टल- प्रवीण कुमार

जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः जीएसटी नेटवर्क के सहायक उपाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार, चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं वैट उप समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी। दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 13 मई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता जीएसटी नेटवर्क के सहायक उपाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि जीएसटी प्रणाली के बारे में छोटे एवं मध्यम कारोबारियों में जागरूकता जरूरी है। क्योंकि जीएसटी में त्वरित गति के साथ चीजें अपलोड होंगी या नहीं होंगी, छोटे व्यापारी इसका उपयोग किस तरह से करेंगे आदि के बारे में जागरूक होना जरूरी है। चैम्बर द्वारा पूर्व में भी कई जागरूकता कार्यक्रम किये गये हैं। आज हम श्री प्रवीण कुमार जी से जीएसटी पर और जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री प्रवीण कुमार, सहायक उपाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी नेटवर्क पर सभी संबंधित लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए जीएसटी नेटवर्क पर कैसे अप्लाई करना है, इसे लेकर जागरूकता की कमी है। उन्होंने जीएसटी में लॉग इन से लेकर विभिन्न स्टेप्स के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के द्वारा विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने आगे कहा पूरे भारत में एक जुलाई, 2017 से एक साथ जीएसटी लागू हो जायेगा। इससे बिहार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अतः आवश्यक है कि सभी लोग जीएसटी के लिए पूरी तरह तैयार हो जायें, ताकि उनके कारोबार में फायदा हो। जीएसटी नेटवर्क में एक साथ 70 लाख लोग अपने बिलों को अपलोड करेंगे।

उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत व्यापारियों एवं अधिकारियों दोनों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अभी तक देश भर में 24 हजार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। व्यापारियों को भी अपने स्तर से जीएसटी के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए।

श्री कुमार ने बताया कि जीएसटी नेटवर्क के तहत् एक अलग प्रशिक्षण शाखा की स्थापना की गयी है। जीएसटी के निबंधन की जाँच में पाया गया कि कई व्यापारी एक ही पैन नम्बर के माध्यम से कई निबंधन करा लिये हैं। किसी व्यापारी का अगर चार फर्म है तो एक पैन नम्बर के आधार पर एक ही फर्म की इंटीटी होगी, वहीं शेष का वर्टिकल कोड अलग-अलग हो जायेगा। मौजूदा करदाताओं को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में जाने के लिए जीएसटी नेटवर्क (GSTN) में पंजीकरण की प्रक्रिया एक अप्रैल से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गयी है। अभी बेटा (Beta) टेस्टिंग किया जा रहा है और अगले कुछ सप्ताह में नये पंजीकरण के लिए ढाँचा तैयार कर लिया जायेगा। तत्पश्चात फिर एक जून से पंजीयन हेतु पोर्टल खोला जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यवसायी को प्रोविजनल पंजीयन नम्बर मिल गया है, वही उनका पंजीयन नम्बर होगा। जीएसटी लागू होने के बाद सभी कारोबारियों को 15 अंको का जीएसटी नम्बर जरूरी होगा, जो उनके आयकर के स्थाई खाता संख्या (PAN) के मुताबिक होगा।

जीएसटी में मासिक रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था की गयी है और रिटर्न तब अपलोड होगा, जब संबंधित कारोबारी देय कर का भुगतान विभाग को कर दिया हो। वैट में कर की राशि बकाए रहने पर भी रिटर्न दाखिल हो जाता है। सलाना 50 लाख रूपये तक कारोबार करने वाले लोगों के लिए कंपोजिट टैक्स देने की व्यवस्था की गयी है, जबकि सलाना 20 लाख रूपये तक का व्यवसाय करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में पंजीयन से छूट दी गयी है। व्यापारी जीएसटी को लेकर होने वाले सेमिनार, कार्यशाला व कार्यक्रमों में अवश्य सहभागिता सुनिश्चित करें। व्यापारी जीएसटी नेटवर्क की ऑनलाईन दी गयी जानकारी को अवश्य पढ़ें। व्यापारी स्थानीय स्तर पर वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर कार्यशाला के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

इस अवसर पर कई सदस्यों ने जीएसटी संबंधित अपने सवाल भी पूछे जिसका उत्तर भी प्रवीण कुमार ने दिया। प्रश्नों में ज्यादातर लोगों के मन में आईडी को लेकर सवाल थे।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, वैट उप-समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी एवं वैट उप-समिति के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री जी.पी. सिंह, चैम्बर के सदस्य, कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित प्रेस एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन के धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

चैम्बर में जी.एस.टी. पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम को सम्बोधित करते वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री अजिताभ मिश्रा (बाँयें से प्रथम)। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः
वाणिज्य-कर विभाग के अपर आयुक्त श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन,
वैट उप समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी एवं वैट उप समिति के सह संयोजक श्री आलोक पोद्दार।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों में इनपुट टैक्स एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस इनपुट टैक्स में देश के बाहर से आयाात किये गये माल एवं सेवाओं पर चुकाया गया आइजीएसटी कर भी शामिल हैं। ये बातें वाणिज्य कर विभाग अपर आयुक्त सुजय प्रकाश उपाध्याय ने दिनाकं 26.5.2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आयोजित जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स का सामंजन तभी मान्य होगा जब खरीद या प्राप्त किये गये माल या सेवा का उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसायिक उद्देश्य से किया गया हो। प्राप्तकर्ता व्यवसायी द्वारा सप्लायर को इनवायस की तिथि से छह माह के भीतर अगर माल या सेवा के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है, तो लिये गये इनपुट टैक्स की राशि ब्याज सहित चुकानी होगी। उपाध्याय ने कहा कि किसी करदाता के निर्देश पर माल या सेवा की आपूर्ति, सप्लायर द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को गयी है, तो माना जायेगा कि माल या सेवा प्राप्ति उस निर्देश देने वाले करदाता को हुई है। अतः ऐसी आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी माल का आदेश देने वाले करदाता को ही उपलब्ध होगा। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा, दावे से संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद के माह सितम्बर या वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि तक, इनमें जो भी पहले हो किया जा सकता है। उपाध्याय ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत मालों या सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक स्तर पर चुकाए गये कर का सामंजन अगले स्तर के आपूर्तिकर्ता को प्राप्त होगा। जीएसटी पर देय आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए इनपुट टैक्स मद में चुकायी गयी राशि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सीजीएसटी मद में चुकता इनपुट टैक्स की राशि का उपयोग एसजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त अजिताभ मिश्रा ने कंपोजिशन स्कीम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीएसटी के तहत छोटे करदाताओं, जिनका सकल लेन देन एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत एक निश्चित प्रतिशत की दर से सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे करदाताओं को आइटीसी के लाभ की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नये कर व्यवस्था के तहत मालदेय सेवाओं के आपूर्ति पर केन्द्र एवं राज्य सरकारें एसजीएसटी और सीजीएसटी के नाम से अलग-अलग वसूली करेगी। माल एवं सेवा के गंतव्य आधारित कर प्रणाली है यानी जिस वस्तु या सेवा का अंतिम उपयोग जिस राज्य में होगा उस राज्य को ही एसजीएसटी मद का पूर्ण हिस्सा प्राप्त होगा।

मिश्रा ने कहा कि जीएसटी लागू होने से दोहरे करारोपण की व्यवस्था समाप्त होने के साथ-साथ देश के राजस्व पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 27.5.2017)

नोट : इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री शशि मोहन, वैट उप समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी एवं वैट उप समिति के सह संयोजक श्री आलोक पोद्दार सहित चैम्बर सदस्य एवं विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

निवेश बढ़ाने को चाहिए विशेष दर्जा

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई) राज्य की उद्योग-कारोबार जगत की सबसे पुरानी संस्था है। यह देश की आजादी से भी वर्षों पहले से राज्य में सक्रिय व्यावसायिक संगठन है। राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने में उसकी प्रमुख भूमिका रही है।

"व्यापार बढ़ाओ, बिहार बढाओ" अभियान के तहत "हिन्दुस्तान" ने बीसीसीआई के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल से राज्य के उद्योग-व्यवसाय जगत पर विस्तार से बात की।

प्रस्तुत है चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल से भोलानाथ की बातचीत के मुख्य अंश: -

• राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने में आपका संगठन क्या कर रहा है?

– औद्योगिक नीतियों के निर्माण से पूर्व विमर्श की प्रक्रिया में हम सरकार को हर संभव सहयोग देते हैं। कारोबारी और उद्यमी क्या चाहते हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं। लेकिन निर्णय अंतत: राज्य सरकार को ही लेना होता है। वर्ष 2006 और 2011 में औद्योगिक नीति बनाते समय सरकार ने हमारे सुझावों पर काफी तवज्जो दिया। इसका नतीजा हुआ कि नीति आकर्षक बनी और बड़ी संख्या में लोग बिहार की ओर निवेश के लिए आने लगे। माहौल बना तो श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानियाँ और अनमोल बिस्कुट जैसी कम्पनियाँ उसी समय आई। कई निवेशकों को यहाँ सुरक्षित निवेश का भरोसा दिलाने में भी हम कामयाब रहे।

• औद्योगिक माहौल बनाने अब तक आपके संगठन ने जो प्रयास किया है, उसका क्या नतीजा निकला है?

– हमारे संगठन के ही सुझाव पर गौर करते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2006 और 2011 की औद्योगिक नीति बनाई। इसमें हमने ही सुझाया था कि बिहार जैसे राज्य में तवज्जो कृषि अधिारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर हो। सरकार ने तब उद्योग लगाने पर कुल लागत का 35 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया। इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट एप्रुवल एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। यह उद्योग प्रस्ताव मिलने पर उनके लिए रिपोर्ट बनाती थी। कई बार सरकार हमारी अधिकांश बातें मान लेती है। कई बार नहीं भी मानती है। वर्ष 2016 की नीति बनाते समय हमारी बात नहीं सुनी गई, तो नतीजा सामने हैं। इससे निवेश भी प्रभावित हुआ है। इसपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि स्थितियाँ बदलें।

• आबादी के हिसाब से बिहार का बाजार नहीं बढ़ा, क्यों?

निवेश कम होने से यहाँ औधोगिक उत्पादन कम होता है। इसका स्थानीय बाजार पर भी असर पड़ता है। बाजार का आकार लोगों की भुगतान क्षमता पर भी निर्भर करता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। इस कारण यहाँ क्रय क्षमता भी कम है। अलबत्ता कुछ चीजों का बाजार यहाँ काफी बड़ा है। यहाँ दवाएँ अधिक बिकती हैं। चूँकि, यह जीवन रक्षक सामान की श्रेणी में आता है। वहीं, विलासिता के सामान, मसलन– एसी, फ्रिज, महंगे टीवी सेट और चार पहिया गड़ियों का बाजार अन्य राज्यों की बनिस्पत कम है। यहाँ अधिकतर लोगों की आय जीवन के लिए जरूरी दाल-रोटी, सब्जी जुटाने में ही चूक जाती है।

• व्यापार या उद्योग में अपेक्षित निवेश नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा वर्ष 2006 में जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, उसमें 35 फीसदी सब्सिडी के प्रावधान से स्थानीय और बाहर के निवेशक आकर्षित हुए, लेकिन वर्ष 2016 में जो नई नीति आई, उसमें 35 फीसदी सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया। हम सरकार को उद्योग-व्यवसाय जगत की तरफ से हमेशा सुझाव देते रहते हैं। सरकार जो भी मदद चाहती है, देते हैं। फिलहाल यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कि उद्योग और व्यवसाय जगत वर्ष 2016 की अद्यौगिक नीति से खुश नहीं है। अपेक्षित निवेश के लिए नीतियाँ भी उसी तरह की होनी चाहिए।

• कौन-कौन से ऐसे उपाय केन्द्र या राज्य सरकार के स्तर पर किए जाने चाहिए जिससे व्यापार-उद्योग में निवेश बढ़ेगा?

केन्द्र सरकार यदि आधारभूत संरचना के विकास के लिए कोई फंड देती हैं, तो बिहार के विकास में तेजी आएगी। इसी तरह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी जेनुइन डिमांड है। साथ ही विशेष पैकेज मुहैया कराने पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तभी बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी तरह राज्य सरकार को उद्योग-व्यवसाय जगत के विकास के लिए समयबद्ध योजना बनानी चाहिए। साथ ही उसपर अमल होना चाहिए। उद्यमी क्या चाहते हैं, उनकी सुनी जानी चाहिए। उनको इंसेंटिव दिये जाने की भी जरूरत है। ऐसा करने पर ही विकास में तेजी आएगी। बिहार में फिलहाल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नीतियाँ बना कर और उसका पालन करके ही विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

• औद्योगिक निवेश की राह में चुनौतियाँ क्या है?

औद्योगिक नीति ऐसी हो, जो उद्यमियों को यहाँ निवेश के लिए खींच लाए। वर्त्तमान समय में बैंकों का रवैया भी उद्योग और करोबार शुरू करने को लेकर, अनुकूल नहीं है। बैंकों की खाख-जमा अनुपात का कम होना इसका सबूत है। नई नीति में इंसेंटिव लगभग नहीं हैं। जो हैं भी उनके लिए जटिल प्रावधान हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर फोकस जरूरी है। बिहार कृषि आधारित राज्य है। यहाँ की 80 फीसदी आबादी कृषि से जुड़े व्यवसाय पर ही निर्भर है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ फलों का उत्पादन भी ठीक है। लीची, केला और आम का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को विस्तार देने पर निश्चय ही कारोबार और रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी।

• बाजारों को सुंदर और व्यवस्थित करने के प्रति कारोबारी जगत क्यों उदासीन है?

अक्सर यह देखा गया है कि बाजार की अव्यवस्था के लिए कारोबारियों पर ही सारा कानून थोप दिया जाता है। वह खुद भी चाहते हैं कि बाजार सुंदर और सुव्यवस्थित दिखे। अतिक्रमण आदि हटाने के लिए सरकार को पत्र भी लिखते हैं। मगर सरकार और नगर निकायों को भी चाहिए कि शहरी कानूनों को अमल में लाए। कम से कम अतिक्रमण हटाना तो कोई बढ़ी समस्या नहीं है सिर्फ सरकार की इच्छाशक्ति की दरकार है। बिहार के लगभग सभी बाजार पुराने बसे हुए हैं। प्लांड शहर नहीं होने से वे बेतरतीब भी हैं। मगर अब पटना में मास्टर प्लान लागू हो गया है। अन्य शहरों का बन रहा है। सरकार को इनको लागू कराना चाहिए। शहरी विकास को लेकर नई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि कारोबारियों के साथ ही खरीदारों को भी सहूलियत हो सके।

(साभार - हिन्दुस्तान, 25.5.2017)

जीएसटी में रोजमर्रा की वस्तुएं होंगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल की ओर से विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों के निर्धारण का उद्योग संघों ने स्वागत किया है। संघों की ओर से उम्मीद जताई गई है कि खास कर रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इससे सबको राहत मिलेगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न वस्तुओं को जीएसटी की प्रस्तावित चार दरों- 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद की दर में फिट किया गया। कुल 1,211 वस्तुओं में से छह को छोड़कर शेष सभी पर काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के बाद अन्य अनाज, दूध व दही, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन और कोयले की कीमत में कमी आएगी। यह सराहनीय है। इसका सभी को लाभ मिलेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 20.5.2017)

बिहार चैम्बर द्वारा संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र पर एक रिपोर्ट

भारत सरकार एवं बिहार सरकार का कौशल विकास पर काफी जोर है और पाँच वर्षों में बिहार में एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास के कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु एक गर्वनिंग काउन्सिल बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण, उनमें कौशल एवं हुनर में वृद्धि एवं महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने हेतु बिहार सरकार काफी प्रयत्नशील है। बिहार सरकार के इस सद्प्रयास को मूर्त्तरूप देने एवं अपनी भागीदारी निभाने तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्त्ति हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने प्रांगण में एक नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि० के सहयोग से स्थापित किया है जिसकी समन्वयक श्रीमती गीता जैन हैं।

चैम्बर ने प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भवन अपने हाते में उपलब्ध कराया है। सिलाई मशीन एवं आवश्यक फर्निचर आदि भी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए खरीदकर उपलब्ध कराया है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2014 को हुआ था। इसके प्रथम बैच का प्रशिक्षण 10 फरवरी, 2014 से प्रारम्भ हुआ। प्रथम बैच में दो पालियों में 68 महिलाओं ने प्रशिक्षण ग्रहण किया। प्रत्येक पाली 2 घंटे की थी और प्रथम पाली में 37 एवं द्वितीय पाली में 31 प्रशिक्षु महिलाएँ थी। दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को प्रथम बैच की परीक्षा हुई जिसमें 68 प्रशिक्षार्थी महिलाए शामिल हुई। 30 अप्रैल, 2014 को प्रथम बैच का समापन हुआ।

सावन माह को देखते हुए जुलाई 2014 में मेंहदी कला का प्रशिक्षण हुआ जिसमें 65 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मेंहदी कला का प्रशिक्षण श्रीमती मधु जैन ने दिया।

प्रथम एवं दूसरे सत्र के बैच के 201 प्रशिक्षु महिलाओं को सिलाई-कटाई एवं मेंहदी प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र 01 अगस्त, 2014 को श्री नवीन कुमार वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार एवं श्री संजय कुमार, सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्रदान कराया गया। इसी अवसर पर चैम्बर द्वारा प्रशिक्षित एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर 11 महिलाओं को सिलाई मशीन भी प्रदान किया गया ताकि वे महिलाएं अपना रोजगार चला सके। दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को चैम्बर की 87वी वार्षिक आमसभा में तीसरे बैच (सिलाई) एवं क्विल्ट बैग की प्रशिक्षित 121 महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

चैम्बर की मंशा थी कि महिलाओं को नि:शुल्क कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाये। इसके लिए चैम्बर ने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष की स्थापना की जिसमें 4 कम्प्यूटर, 1 लैपटॉप एवं एक प्रिंटर के साथ कम्प्यूटर टेबुल एवं कुर्सियाँ चैम्बर ने उपलब्ध कराया।

इस कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन श्री राजीव प्रताप रूड़ी, माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य मंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2015 को हुआ।

इसी उद्घाटन समारोह में चौथे बैच की कुल 73 प्रशिक्षु महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र तथा चैम्बर द्वारा उपलब्ध कराये गये सिलाई में उपयोग होने वाले उपकरणों युक्त बैग भी माननीय कौशल विकास मंत्री के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

सिलाई प्रशिक्षण के 5वीं और 6ठी बैच का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, कम्प्यूटर के प्रथम एवं दूसरे बैच के प्रशिक्षण तथा मेंहदी का प्रशिक्षण के कुल 285 महिलाओं को प्रमाण-पत्र श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा के कर-कमलों द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर,2015 को प्रदान किया गया।

सिलाई प्रशिक्षण के 7वीं, 8वीं और 9वीं बैच का प्रमाण-पत्र एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण के तीसरी, चौथे एवं पाँचवें बैच का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र कुल 310 महिलाओं को श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं डॉ० एन. विजया लक्ष्मी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2016 को प्रदान किया गया।

इसी प्रशिक्षण के दौरान चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने प्रशिक्षणार्थी सुश्री आरती जो दिव्यांग है को एक बिजली चलित सिलाई मशीन देने की घोषणा की थी। दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को सुश्री आरती को चैम्बर अध्यक्ष ने सिलाई मशीन प्रदान किया।

सिलाई प्रशिक्षण का 10 वाँ, 11वाँ, 12वाँ एवं 13वाँ, कम्प्यूटर प्रशिक्षण के 6ठी, 7वीं एवं 8वीं बैच एवं मेंहदी प्रशिक्षण का तीसरा एवं चौथा बैच की कुल 551 महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं जिनका प्रमाण-पत्र वितरण 3 जून 2017 को माननीय केन्द्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री रामकृपाल यादव के कर कमलों से होना है।

कम्प्यूटर के 9वाँ बैच में 44 महिलाएँ, सिलाई का 14वाँ बैच में 82 महिलाएँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं जो क्रमश: जून एवं जूलाई में समाप्त होगा।

सभी बैच में महिलाओं को सिलाई-कटाई के प्रशिक्षण में 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें जांघियां, 6 कली का पेटीकोट, 4 कली का पेटीकोट, सिम्पल फ्राक, बेबी फ्राक, तकिया कवर, बेबी पैंट, नाईटी, पैजामा, ब्लाउज, सलवार तथा समीज आदि शामिल है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण में महिलाओं को कम्प्यूटर का बेसिक जानकारी दी जाती है।

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण दो प्रशिक्षिकाओं सुश्री ममता सिन्हा एवं श्रीमती दुर्गा बनर्जी द्वारा दिया जा रहा है तथा कम्प्यूटर के प्रथम एवं दूसरे बैच का प्रशिक्षण सुश्री गौशिया एवं सुश्री एरम द्वारा दिया गया। तीसरे बैच से सुश्री श्वेता एवं सुश्री चित्रा सिन्हा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दे रही हैं। इन प्रशिक्षिकाओं को मानदेय चैम्बर द्वारा दिया जाता है। चैम्बर कार्यालय की सुश्री माधाबी सेन गुप्ता कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की प्रभारी हैं। मेंहदी कला का प्रशिक्षण श्रीमती मधु जैन ने दिया।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चैम्बर द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन श्री बिजय कुमार चौधरी, माननीय स्पीकर, बिहार विधान सभा, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, माननीय श्रम मंत्री, बिहार सरकार, श्री नवीन वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं डा० एन. विजयालक्ष्मी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार सरकार, श्री गंगा कुमार, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, श्रीमती अंजू रंजन, बीरगंज स्थित कस्टम कार्यालय में नियुक्त भारतीय कन्सुलेट जनरल, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के राजदूत एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया बन्धुओं द्वारा किया गया। सबों ने चैम्बर के इस सद्प्रयास की सराहना की है।

हमारे लिए यह और भी हर्ष की बात है कि चैम्बर से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएं नौकरी कर रही हैं, सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना रोजगार कर रही हैं तथा कई महिलाएँ अपने घर के वस्त्रों की सिलाई कर अपना पैसा बचा रही हैं।

चैम्बर महिलाओं के स्वावलंबन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण देने का विचार-विमर्श कर रहा है ताकि प्रशिक्षण के पश्चात् शीघ्र स्वरोजगार मिल सके।

चैम्बर के इस प्रयास को सफल बनाने में चैम्बर के पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिन लोगों का सक्रिय सहयोग रहा उनके प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

– मुकेश कुमार जैन
चैम्बर उपाधयक्ष-सह-संयोजक
कौशल विकास उप-समिति

चैम्बर द्वारा संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की झलकियाँ

चैम्बर द्वारा संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल साथ में पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं प्रशिक्षु महिलाएँ। (08.02.2014)

महिला प्रशिक्षुओं को दिये जा रहे सिलाई प्रशिक्षण का अवलोकन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य। (08.02.2014)

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन कुमार वर्मा, भा.प्र.से. दाँयें से तीसरे। उनकी बाँयीं ओर क्रमश: चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं श्री मुकेश जैन एवं अन्य। (01.08.2014)

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु चैम्बर द्वारा प्रदत्त सिलाई मशीन का वितरण करते उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन कु. वर्मा,भा.प्र.से., श्रम संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारीगण। (01.08.2014)

चैम्बर द्वारा स्थापित नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन करते माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी। उनकी बाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। दाँयी ओर श्रीमती सुष्मा साहू एवं अन्य पदाधिकारीगण। (14.04.2015)

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण। (14.04.2015)

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को चैम्बर द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं सिलाई उपकरणों वाला किट प्रदान करते माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण। (14.04.2015)

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण-पत्र वितरित करते माननीय विधान सभा अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण। (18.12.2015)

चैम्बर द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण-पत्र वितरित करते श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से.। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण। (27.07.2016)

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांग आरती को प्रमाण-पत्र प्रदान करती डॉ0 एन. विजयालक्ष्मी। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं श्रीमती गीता जैन, समन्वयक, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र। (27.07.2016)

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त महिलाओं का ग्रुप फोटोग्राफ। जिसमें अंतिम पंक्ति में उपस्थित श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं पदाधिकारीगण। (27.07.2016)

चैम्बर द्वारा सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांग आरती को स्वरोजगार हेतु बिजली द्वारा चालित सिलाई मशीन प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष श्री एम. एन. बरेरिया, महामंत्री श्री शशि मोहन, उद्यमिता विकास उप-समिति के संयोजक श्री मुकेश जैन, लाईब्रेरी एण्ड बुलेटिन उप-समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद। कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन एवं प्रशिक्षु महिलाएँ। (17.12.2016)

कम्प्यूटर प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएँ साथ में प्रशिक्षिकाएँ।

सिलाई प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएँ।

महिलाओं को मेंहदी कला का प्रशिक्षण देती श्रीमती मंजू जैन साथ में गीता जैन।

मेंहदी कला की प्रतियोगिता के पश्चात् मेंहदी कला दिखाती प्रशिक्षित महिलाएँ।

दानापुर रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति की बैठक में ज्ञापन समर्पित

दानापुर रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति की बैठक दिनांक 5 मई, 2017 को आयोजित बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि श्री सावल राम डोलिया द्वारा दानापुर मंडल से जुड़ी यात्रियों की समस्याओं, सुझावों निम्नानुसार समर्पित किया गया:-

1. राजेन्द्र नगर टर्मिनल से हाजीपुर तक लगातार रेल सेवा उपलब्ध करायी जाये।
2. पटना जंक्शन के प्लेटफार्म के बाहर आम यात्री के लिए शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था एक भी नहीं है। अविलम्ब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये।
3. पटना जक्शन पर गाड़ी की प्लेटफार्म संख्या निश्चित होनी चाहिए। लखीसराय जंक्शन पर कुछ माह पहले तक TC कार्यालय था, उसे हटा दिया गया है फिर से TC कार्यालय बहाल किया जाय।
4. राजेन्द्रनगर के तरफ से प्लेटफार्म पर जाने का रास्ता काफी जाम रहता है जिससे रेल यात्री को आने-जाने में कठनाई होती है उसे जाममुक्त करने हेतु स्थाई समाधान किया जाये।
5. पटना से चलने वाली गाड़ियों में अन्य क्षेत्रीय रेलों से चलने वाली गाड़ियों की अपेक्षा कम सुविधाएं है। इसे उच्च्स्तरीय बनाया जाये।
6. कोलकाता-आनन्द बिहार ट्रेन कोलकाता से पटना तक चलाया जा रहा है । उसको मुगलसराय तक चलाया जाये क्योंकि जनता एक्सप्रेस एवं लालकिला दोनों गाड़ियां बन्द हो गई है।
7. 13250 भभुआ-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में काफी भीड़ होने के कारण पांच डिब्बे और जोड़े जाएं।
8. मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र के रास्ते नई दिल्ली के लिए प्रतिदिन एक राजधानी एक्सप्रेस परिचालित की जाये ।
9. पूर्व में दक्षिण भारत एवं मुम्बई के लिए पटना से परिचालित होने वाली गाड़ियों का परिचालन पाटलिपुत्र स्टेशन से किया जा रहा है उसे पुन: पटना से परिचालित किया जाए या पाटलिपुत्र स्टेशन पर सुविधा बढ़ाई जाये।
10. पटना-हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर एक और द्रुतगामी ट्रेन चलाई जाये।
11. कैपिटल एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार लगाई जाये।
12. पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर की और यात्रियों के निर्वाध आवागमन हेतु मुख्य प्रवेश द्वार के आस-पास अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाये।
13. किसी भी गाड़ी में प्रारम्भ में कोई यात्री आरक्षण हेतु बर्थ आरक्षित करवाता है तो उसे हमेशा ही साईड की बर्थ ही उपलब्ध होती है जबकि अन्दर की बर्थ बहुत ही खाली रहती है। इसके साफ्टवेयर में यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। पहले आरक्षण करने वाले यात्री को पहले अन्दर की बर्थ ही आर्बटित होना सुनिश्चित की जाये।
14. बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारी के अनुरोध को रेलवे के आपतकालीन कोटा में प्राथमिकता दी जाए। पटना से हावड़ा, चेन्नई, दिल्ली, सुरत, अहमदाबाद, हैदाराबाद एवं बंगलोर जाने वाली गाड़ियों में द्वितीय ए.सी. में 4 बर्थ एवं तृतीय ए.सी. कोच में 6 बर्थ का कोटा उपलब्ध कराया जाए।
15. रेलवे रेक साईड की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसकी सुरक्षा घेरा की व्यवस्था की जाए।
16. प्रतीक्षा सूची गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाया जाए।
17. राजेन्द्र नगर टर्मिनल एवं दानापुर से खुलने वाली ट्रेन का समय काफी अव्यवस्थित है। समय सुधारा जाए।
18. मुगलसराय से झाझा जंक्शन तक तीसरी लाईन बिछाई जाए।
19. गरीब रथ एक्सप्रेस में अभी तक साईड में तीन सीट है उसे अविलम्ब हटाया जाए।
20. पटना से वाराणसी के लिए इंटरसिटी सेवा प्रारम्भ किया जाए।
21. किउल जंक्शन का सौन्दर्यीकरण एवं इसका प्लेटफार्म ऊँचा किया जाए जो अत्यन्त आवश्यक है । यह 'एक' ग्रेड जंक्शन है।
22. पाटलिपुत्र स्टेशन से नई दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस की भांति कोई दूसरी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जाय।
23. पटना जंक्शन प्लेटफार्म संख्या 1 से 10 तक आम नागरिक के लिए शौचालय का अभाव है जिससे आम नागरिकों के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शौचालय का निर्माण प्रत्येक प्लेटफार्म पर किया जाये।

क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति की दिनांक 18 मई, 2017 को आयोजित तृतीय बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि द्वारा समर्पित सुझाव

क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदातृ समिति की दिनांक 18 मई, 2017 को आयोजित तृतीय बैठक में चैम्बर प्रतिनिधि श्री सावल राम डोलिया द्वारा क्षेत्रीय रेल से जुड़ी यात्रियों की समस्याओं/सुझावों को समर्पित किया गया, जो निम्न हैं:-

1 उत्तर बिहार के सभी प्रमुख शहरों से एक गाड़ी पाटलिपुत्र स्टेशन के रास्ते पटना के लिए परिचालित की जाये।

2 पटना जंक्शन के सभी प्लेटफार्म पर शौचालय का अभाव है जिससे यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शौचालय का निर्माण करवाने की व्यवस्था की जाये। प्लेटफार्म संख्या 1 पर शौचालय शुल्क 2/- की जगह अवैध रूप से 5/- रूपये या 10/- रूपये लिया जाता है जो गलत है उसपर तत्काल उचित कार्रवाई की जाये।

3 पटना जंक्शन के प्लेटफार्म के बाहर शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था अविलम्ब की जाये।

4 राजेन्द्रनगर के तरफ से प्लेटफार्म पर जाने का रास्ता काफी जाम रहता है जिससे रेल यात्री को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है उसे जाममुक्त करने हेतु स्थाई समाधान किया जाये।

5 जेडआरयूसीसी के मेम्बर्स को किसी भी मंडल में निरीक्षण कर सके ऐसी व्यवस्था की जाये तथा इसका लाभ मेम्बर्स समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। अत: इसे उपयोगी फोरम बनाने का प्रयास किया जाये।

6 क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति पूर्व मध्य रेल का गठन दिनांक 01.10.2015 को हुआ। इसकी अवधि 30.09.2017 तक है परन्तु पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर द्वारा जेडआरयूसीसी पू0म0रे0 की प्रथम बैठक दिनांक 20.05.16 को हुई। लगभग सात माह जेडआरयूसीसी के सदस्यों का कार्यकाल बिना वजह समाप्त हुआ। कार्यकाल बढाया जाये और कम से कम जोन में निरीक्षण करने के लिए प्रथम श्रेणी का पास उपलब्ध कराया जाये।

7 कोलकाता-आनंद विहार ट्रेन कोलकाता से पटना तक चलाया जा रहा है। उसको मुगलसराय तक चालाया जाये क्योंकि जनता एक्सप्रेस एवं लालकिला दोनो गाड़ियां बन्द हो गई है।

8 13250 भभुआ-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में काफी भीड़ होने के कारण पांच डिब्बे और जोड़े जाएं।

9 भारत सरकार रेल मंत्रालय के पत्रांक सं0 2015/टीजी-1/28/ईसीआर/1 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा बोर्ड के निर्देशानुसार आपके अधीनस्थ सभी विभागों, मंडलों के पदाधिकारियों को निर्देश दें कि जेडआरयूसीसी के सदस्यों का सुझाव व समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो सके।

10 मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र के रास्ते नई दिल्ली के लिए प्रतिदिन एक राजधानी एक्सप्रेस परिचालित की जाये।

11 पटना-हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर एक और द्रुतगामी ट्रेन चलाई जाये।

12 गाड़ी संख्या 12309/12310 राजधानी एक्सप्रेस एवं 12393/12394 संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी वातानुकूलित का स्थाई रूप से अतिरिक्त कोच लगाई जाये जिससे प्रतीक्षा सूची का दबाव कम हो सके।

13 कैपिटल एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार लगाई जाये।
14 जेडआरयूसीसी के सदस्यों का नाम मंडल के सभी स्टेशनों पर लिखवाया जाये तथा सभी सदस्यों का नाम, पता एवं मोबाईल नं. सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।
15 जेडआरयूसीसी के सदस्यों को अपने अधीनस्थ मंडलों में निरीक्षण हेतु रेलवे पास उपलब्ध कराया जाए।
16 जेडआरयूसीसी के सदस्यों को आपातकालीन कोटा के लिए दिये गये आवेदन पर वीआईपी कोटा पर वर्थ उपलब्ध कराई जाये।
17 पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर की ओर यात्रियों के निर्वाध आवागमन हेतु मुख्य प्रवेश द्वार के आस-पास अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाये। पार्किंग अव्यवस्थित रहने से यात्रियों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।
18 बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारी के अनुरोध को रेलवे के आपतकालीन कोटा में प्राथमिकता दी जाए। पटना से हावड़ा, चेन्नई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद एवं बंगलोर जाने वाली गाड़ियो में द्वितीय ए.सी. में 4 बर्थ एवं तृतीय ए.सी. कोच में 6 बर्थ का कोटा उपलब्ध कराया जाए।
19 रेलवे रेक साईड की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसकी सुरक्षा घेरा की व्यवस्था की जाए।
20 प्रतीक्षा सूची गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाया जाए।
21 कैपिटल एक्सप्रेस में पैन्ट्रीकार लगवाया जाये और इसे राजेन्द्र नगर से 21:40 बजे चलाया जाए।
22 मुगलसराय से झाझा जंक्शन तक तीसरी लाईन जल्द से जल्द बिछाई जाए।
23 पाटलिपुत्र स्टेशन पर यात्री सुविधा एवं सुरक्षा का काफी अभाव है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
24 गरीब रथ एक्सप्रेस में अभी भी साईड में तीन सीट है और उसकी बुकिंग भी होती है उसे अविलंब हटाया जाए।
25 पटना से वाराणसी के लिए इंटरसिटी सेवा प्रारम्भ किया जाए।
26 किऊल जंक्शन ''ए'' ग्रेड जंक्शन है अत: इसका सौंदर्यीकरण किया जाये एवं इसका प्लेटफार्म 2 एवं 3 रेलवे लाईन से सटे हुए हैं जिसके कारण काफी दुघर्टनाएँ होती है अत: इसे अविलम्ब ऊँचा किया जाए।

जीएसटी में अनाज, तेल, साबुन होंगे सस्ते, नहीं बढ़ेगी महंगाई

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई 2017 से लागू होने पर अनाज, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन और कोयला जैसी वस्तुएं सस्ती ही सकती हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होने से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि कोयले के सस्ते होने से बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी। इसके उलट सोना, चांदी और महंगी कारें जैसी अमीरों के इस्तेमाल की वस्तुएं जीएसटी लागू होने पर मंहगी हो सकती हैं। कार्उंसिल की यह 14 वीं बैठक है। जीएसटी कार्उंसिल की बैठक पहली बार श्रीनगर में हुई है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी कार्उंसिल की 18.5.2017 को यहाँ दो दिवसीय बैठक के पहले दिन विभिन्न वस्तुओं को जीएसटी की प्रस्तावित चार दरें-5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद की दर में फिट किया गया। कुल 1,211 वस्तुओं में से छह को छोड़कर शेष सभी पर कार्उंसिल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि बीड़ी पर कितना जीएसटी लगेगा, इस बारे में उभी कोई फैसला नहीं किया गया है। कार्उंसिल दूसरे दिन की बैठक में सेवाओं पर जीएसटी की दरें तय करेगी।

• 81% वस्तुओं पर 18% या इससे कम लगेगा जीएसटी • 1211 वस्तुओं में से 06 को छोड़कर शेष सभी पर मंजूरी

सस्ते होंगे : अनाज, दूध व दही, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन और कोयला।

महंगे होंगे : लक्जरी कारें, महंगी धातुएं मिठाई।

अभी दर तय नहीं : सोना, चांदी जैसी महंगी धातुएं, बीड़ी, फुटवियर, पैकेज्ड व ब्रांडेड फूड और सेवाएं।

लागू होने पर वस्तुओं पर जीएसटी की यह होगी सूरत : • 43% टैक्स • 18% टैक्स लगेगा • 19% 28% की दर से जीएसटी • 7% जीएसटी नहीं • 14% 12% की दर से जीएसटी।

इन पर 5% की दर : कोयला, खाद्य तेल, चीनी, काफी, मिठाई, अखबारी कागज, टायर ट्यूब, ईट व टाइल्स, जीवन रक्षक दवाओं पर लगेगा 5 फीसद टैक्स।

तेल-साबुन पर 18% की दर : मध्य वर्ग के इस्तेमाल की चीजों जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और साबुन पर 18% जीएसटी लगेगा। इन पर फिलहाल केन्द्र और राज्यों का मिलाकर 22 से 24 फीसद टैक्स लगता है

..... ताकि नहीं बढ़े महंगाई : जीएसटी की दरों को इस तरह तय किया गया है कि एक जुलाई से जब यह कर सुधार लागू हो तो इससे महंगाई न बढ़े। आम लोगों के इस्तेमाल की 81% वस्तुओं परी 18% या कम दर से टैक्स लगाने का फैसला किया

इन पर ज्यादा टैक्स : लक्जरी व छोटी कारें, एसी, फ्रिज 28 फीसद स्लैब में, लक्जरी कारों पर टैक्स के साथ 15 फीसद सेस, पान मसाला गुटखा पर 204 फीसद सेस।

ये दायरे से बाहर : गेहूँ-चावल समेत अनाज, दूध, दही, सब्जी, फल, उर्वरक, कृषि उपकरण दायरे से बाहर • जूस ट्रैक्टर, साइकिल 12 फीसद टैक्स दायरे में।

सोने पर फैसला : सोने पर राज्यों ने 4% जीएसटी लगाने की मांग की है जो जीएसटी की प्रस्तावित चार दरों से अलग है। कार्उंसिल की बैठक के दूसरे दिन सोना-चांदी जैसी महंगी वस्तुओं पर चर्चा होगी।

"जीएसटी लागू होने पर महंगाई पर अंकुश लगेगा। कई वस्तुओं 33% कर लगता है जिसे घटाकर 28% पर लाया गया है। इससे राज्य व केन्द्र सरकार की आय में भी बढोतरी होंगी।" – अरुण जेटली

(साभार : दैनिक भास्कर, 20.5.2017)

घर बनाने का सामान महंगा होगा; प्लाई बोर्ड 8.75% तो टाइल्स 8.25% तक महंगी होंगी

आम आदमी और इंडस्ट्री के लिए क्या हैं जीएसटी के मायने

टैक्स गाइड : मोबाइल फोन महंगे होंगे। ज्यादातर राज्यों में 5% तक अधिक टैक्स देना होगा

जीएसटी में वस्तुओं पर बढ़ी टैक्स दरों से आने वाले समय में घर बनाना महंगा हो जाएगा। घर बनाने में इस्तेमाल सामान पर पौने 9% तक टैक्स बढ़ रहा है। प्लाईबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड पर 19.25% की जगह जीएसटी में 28% यानी 8.75% अधिक टैक्स लगोगा। टाइल्स पर भी 28% टैक्स लगेगा, जो कि मौजूदा दरों से 8.25% अधिक बनता है। हालांकि घर सजाने के सामान पर 12.5% तक कम टैक्स लगेगा।

• पेंट-वार्निश पर 2.5% ज्यादा टैक्स होगा, पर स्टील पाइप और सेरामिक्स सस्ते होंगे • मोबाइल फोन पर जीएसटी में 12% टैक्स रहेगा। इससे ज्यादातर राज्यों में मोबाइल हैंडसेट पर टैक्स 4-5% बढ़ जाएगा। 1% एक्साइज ड्यूटी के अलावा 29 राज्यों। केन्द्र शासित प्रदेशों ने अभी मोबाइल फोन पर 5% या इससे भी अधिक वैट लगा रखा है • बीमा-बैंकिंग सेक्टर नाखुश, एफएमसीजी-ऑटो में खुशी

ईकॉमर्स कंपनियाँ काटेंगी एक फीसदी टीसीएस, ग्राहक पर फर्क नहीं : जीएसटी लागू होने पर ईकॉमर्स कंपनियों को सप्लायर्स के पेमेंट से 1% टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एक सोर्स) काटना होगा। इसका ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों पर असर नहीं होगा। सप्लायसर्स को इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि इससे ईकॉमर्स इंडस्ट्री में पास्दर्शिता आएगी। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि इससे सिरटम में करीब 400 करोड़ रु

लॉक हो जाएंगे।

बैंकिंग-बीमा पर टैक्स में संशोधन का दबाव : बैंकिंग, बीमा पर सर्विस टैक्स 15% से बढ़ाकर 18% करने का विशेषज्ञों ने विरोध किया है। वह 12% चाहते हैं। इंडस्ट्री सरकार पर संशोधन का दबाव बनाएगी।

पड़ोसी देशों में कम टैक्स से टूरिज्म को नुकसान : इंडस्ट्री के अनुसार टैक्स बढ़ने से कारोबार चौपट हो जाएगा। पर्यटकों को लुभाने में सबसे बड़ी बाधा टैक्स रेट है। म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में टैक्स 5-10% है।

एफएमसीजी इंडस्ट्री की बिक्री बढ़ेगी : एफएमसीजी इंडस्ट्री खुश है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट कम हुए है। इसलिए बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इसका असर महंगाई दर पर भी होगा।

टैक्स घटने से ऑटो सेक्टर में मांग में होगा इजाफा : इंडस्ट्री का कहना है कि कारों पर टैक्स घटने से मांग में तेजी आएगी और बाजार को मजबूती मिलेगी। हाइब्रिड वाहनों को लग्जरी कारों की श्रेणी में रखना पर्यावरण के खिलाफ है।

दूसरों की रेटिंग देखकर बिजनेस करने या न करने का फैसला ले सकेंगे कारोबारी : • **कौन-कौन सी वस्तुएं व सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं?** पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन (एटीएफ) शराब और बिजली अभी जीएसटी से बाहर है। इन सब पर टैक्स की मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी। • **क्या चैरिटेबल संस्थाओं पर भी जीएसटी लागू होगा?** जीएसटी में वही सप्लाई टैक्सेबल है, जिससे बिजनेस आगे बढ़ता हो। चैरिटेबल संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगा। • **क्लब और सोसायटी की सेवाएँ भी सप्लाई मानी जाएंगी?** हाँ। जीएसटी एक्ट में ऐसी बॉडी की सेवाएं बिजनेस मानी गई हैं। • **निजी इस्तेमाल के लिए कार खरीदी। एक साल बाद डीलर को बेच दी। क्या यह जीएसटी के दायरे में आएगा?** नहीं। यहाँ व्यक्ति का कार बेचना उसके बिजनेस का हिस्सा नहीं है। इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्ति ने निजी इस्तेमाल के लिए कार खरीदी थी। इसलिए उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिला था। • **राज्य रेवेन्यू में नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं?** अभी वस्तु की लागत और सेनवैट जोड़ने के बाद वैट लगता है। नई व्यवस्था में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक ही मूल्य पर जोड़े जाएंगे। यानी एसजीएसटी कम रकम पर जोड़ा जाएगा। इसीलिए राज्य सोचते हैं कि उन्हें नुकसान होगा। • **रेटिंग क्या है? इसके क्या फायदे है?** सीजीएसटी कानून की धारा 149 के तहत हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को तय मानकों के आधार पर कम्प्लायंस रेटिंग दी जाएगी। एक कारोबारी दूसरे की रेटिंग देख फैसला कर सकता है कि उसके साथ बिजनेस करना है या नहीं।

एशिया के औसत से 4 गुना हैं दरें : ज्यादातर देशों में जीएसटी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह टैक्स की कम और सिर्फ दो या तीन तरह की दरें हैं। भारत में टैक्स के 4 स्लैब तय किए गए हैं। अधिकतम दर 28% है। एशियाई देशों का औसत 7.7% है, इसकी तुलना में भारत में रेट करीब चार गुना ज्यादा है। • विकसित देशों में सबसे सस्ती दर सिंगापुर की है, जहाँ सिर्फ 7% जीएसटी है। • कनाडा में जीएसटी की दर 13-15% तक है। • यूरोपीय देशों में जीएसटी की अधिकतम दर 25% के आसपास है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 20.5.2017)**

प्रोडक्ट	मौजूदा टैक्स	जीएसटी में
पार्टिकल बोर्ड, प्लाई बोर्ड, फोटो फ्रेम	इन आइटम्स पर एक्साइज 12.5% वैट 5% और एंट्री टैक्स 1% लगता है। यानी कुल 19.25% टैक्स है।	28% टैक्स लगेगा यानी 8.75% ज्यादा होगा।
पेंट, वार्निश, पुट्टी	एक्साइज 12.5% वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% है। यानी कुल मिलाकर 30.5% टैक्स लगता है।	28% टैक्स लगेगा। यानी टैक्स रेट 2.5% कम होगा।
टाइल्स और सेरामिक्स प्रोडक्ट	एक्साइज दोनों ही आइटम्स पर 12.5% है। वैट की बात करें तो यह एंट्री टाइल्स पर 6% और सेरामिक्स पर 16% है। यानी टाइल्स पर 19.75% और सेरामिक्स पर 30.5% टैक्स है।	28% टैक्स लगेगा, यानी टाइल्स पर 8.25% बढेगा। सेरामिक्स पर 2.5% घटेगा।
घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील पाइप	एक्साइज 12.5% वैट 5% और एंट्री टैक्स 1% यानी कुल 19.25% टैक्स है।	18% टैक्स लगेगा, यानी 1.25% कम होगा।
किचन के सामान	एक्साइज 12.5% वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	18% टैक्स लगेगा, यानी 11.5% कम होगा।
नैपकिन, टिश्यू पेपर	एक्साइज 12.5% वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	18% टैक्स लगेगा, यानी 11.5% कम होगा।
वाल पेपर कंवरिंग	एक्साइज 12.5% वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	जीएसटी में 28% टैक्स लगेगा, यानी 2.5% कम होगा।
एलईडी लाइट और फिक्सचर	एक्साइज 12.5% वैट 5% और एंट्री टैक्स 1% यानी कुल 19.25 टैक्स है।	12% टैक्स लगेगा, यानी 7.25% घटेगा।
कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो	एक्साइज 12.5% वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	18% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स रेट 12.5% कम होगा।
लैंप, लाइटिंग की फिटिंग्स	एक्साइज 12.5% वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	28% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स रेट 2.5% कम होगा।
हेयर ऑवल, साबुन, दूथपेस्ट	एक्साइज 12.5%, वैट 14% एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	18% टैक्स लगेगा। यानी टैक्स रेट 11.5% कम होगा।
मेकअप के सामान शैंपू हेयर क्रीम	एक्साइज 12.5%, वैट 14% एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	28% टैक्स लगेगा। यानी टैक्स रेट 2.5% कम होगा।
लेदर से बने बैग और दूसरी चीजें	एक्साइज 12.5%, वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	28% टैक्स लगेगा। यानी टैक्स रेट 2.5% कम होगा।
किचन के सामान, केन, पाइप, शीट	एक्साइज 12.5%, वैट 5% और 1% एंट्री टैक्स यानी कुल 19.25% टैक्स है।	18% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स रेट 1.25% कम होगा।
फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान	एक्साइज 12.5%, वैट 14% और एंट्री टैक्स 2% यानी कुल 30.5% टैक्स है।	28% टैक्स लगेगा। यानी टैक्स रेट 2.5% कम होगा।

ज्यादातर सेवाएं महंगी होंगी; एसी रेल टिकट पर 5% टैक्स लगेगा, रेस्तरां में खाना 17% तक महंगा

• जीएसटी काउंसिल की बैठक के दूसरे दिन सर्विसेज पर भी नई दरें तय • वस्तुओं की तर्ज पर सर्विसेज में भी टैक्स 5 सेगमेंट में होगा, नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी

सर्विसेज :

ट्रांसपोर्ट – ट्रक ट्रांसपोर्ट पर आधा प्रतिशत तक टैक्स बढ़ेगा / **मौजूदा टैक्स :** 4.5% अभी 70% अबेटमेंट है। यानी 30% हिस्से पर 15% टैक्स लगता है। यह बिल का 4.5% ही होता है / **जीएसटी में टैक्स :** 5% टैक्स कम रखा गया है। क्योंकि इसका मुख्य इनपुट पेट्रोल-डीजल जीएसटी से बाहर है। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।

ट्रेन – एसी ट्रेन के टिकट पर 5% तक बढ़ेगा टैक्स / **मौजूदा टैक्स :** • 0% मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक और हज यात्राओं पर अभी टैक्स नहीं है • नॉन-एसी ट्रेन के टिकट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है • एसी ट्रेन टिकट पर टैक्स नहीं / / **जीएसटी में टैक्स :** • 0% जीएसटी में भी मेट्रो, लोकल ट्रेन,

धार्मिक यात्राओं पर टैक्स नहीं होगा • नॉन-एसी ट्रेन के टिकट पर जीएसटी में भी टैक्स नहीं होगा • एसी ट्रेन टिकट पर 5% टैक्स।

कैब एग्रीगेटर – मौजूदा टैक्स : 6% ओला और उबर जैसे कैब पर 6% टैक्स / **जीएसटी में टैक्स :** 5% इन्हें 5% वाले स्लैब में रखा गया है • यानी 1% कम।

एयर ट्रैवल – इकोनॉमी में बचत लेकिन बिजनेस क्लास महंगा होगा **मौजूदा टैक्स :** • इकोनॉमी क्लास पर 6% टैक्स • बिजनेस क्लास के टिकट पर 9% / **जीएसटी में टैक्स :** • इकोनॉमी क्लास के लिए 5% टैक्स यानी 1% की बचत • बिजनेस क्लॉस के लिए 12% टैक्स • यानी 3% बढ़ेगा।

रेस्तरां में खाना – सभी तरह के होटलों में खाने का टैक्स बढ़ेगा। फाइव स्टार होटलों के बिल तो 17% तक बढ़ेंगे / **मौजूदा टैक्स :** 11% फूड बिल के 40% हिस्से पर 15% टैक्स लगता है। इसे पूरे बिल के हिसाब से जोड़ेंगे तो यह 6% होता है। अभी वैट पूरे बिल पर 5% लगता है। दोनों को जोड़कर खाने पर कुल टैक्स 11% लगता है। जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है / **जीएसटी में टैक्स :** • 12% नॉन-एसी रेस्तरां में बिल पर 12% टैक्स यानि 1% ज्यादा • 18% शराब लाइसेंस और एसी रेस्तरां में 18% टैक्स यानी 7% ज्यादा • 28% लग्जरी रेस्तरां पर 28% टैक्स रेट लागू होगा यानी 17% ज्यादा।

होटल के कमरे – 5000रु के रूम पर अभी 500रु टैक्स लगता है। जीएसटी में 900रु. लगेगा / **मौजूदा टैक्स :** 10% अभी 3,000 रु तक किराए पर कोई टैक्स नहीं। इससे ज्यादा रूम रेंट पर राज्य (मप्र) का 10% लक्जरी टैक्स लगता है। यानी होटल के कमरे महंगे हो जाएंगे। अभी केन्द्र का कोई टैक्स नहीं लगता है / **जीएसटी में टैक्स :** • 1000 से कम किराए पर टैक्स नहीं • 12% 1000-2500 रुपए के कमरों पर • 18% 2500 से 5000 रु. तक के कमरों पर • 28% 5000रु से अधिक के कमरे पर।

टूर एंड ट्रैक्ल्स – मौजूदा टैक्स : 15% अभी 15% लगता है। वैसे टूर बिल में कुछ चीजों पर इस टैक्स से छूट है / **जीएसटी में टैक्स :** • 18% जीएसटी के दौरान टूर एंड ट्रैवल पर 18% टैक्स लगेगा यानी टैक्स रेट 3% बढ़ जायेगा।

जरूरी नहीं कि ग्राहक पर बोझ बढ़े, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा : ज्यादातर सर्विसेज को 18% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। सर्विस प्रोवाइटर जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, उस पर उन्हें इनपुट केडिट मिलेगा। फायदा ग्राहक को दे सकते हैं।

वित्त मंत्री का दावा-बैकिंग और बीमा पर प्रभावी टैक्स रेट 15% से ज्यादा नहीं होगा : वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा और बैकिंग सेवाओं पर टैक्स रेट भले 15% से बढ़कर 18 फीसदी हो गया हो, लेकिन इसमें भी कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ भी प्रभावी टैक्स रेट 15 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा।

50 लाख रु तक का बिजनेस करने वाले रेस्तरां में ग्राहकों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा : साल में 50 लाख रुपए तक का बिजनेस करने वाले रेस्तरां कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें पूरे टर्नओवर पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इन्हें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए वे ग्राहक से भी कोई टैक्स नहीं ले सकेंगे।

फोन बिल और बीमा महंगा; बैकिंग सर्विसेज पर भी टैक्स 3% तक बढ़ जाएंगे : टेलीकॉम, बीमा, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज पर अभी 15% सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी में इन पर 18% टैक्स लगेगा। कैश ट्रांजैक्शन, चेक बुक लेने, अकाउंट बंद कराने, ऑन लाइन फंड ट्रांसफर, डुप्लीकेट पासबुक लेने जैसी सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी। इन सभी पर टैक्स 3% ज्यादा लगेगा।

सिनेमा के टिकट, रेसिंग व बेटिंग पर 28% टैक्स : अभी सिनेमा टिकट पर 20% राज्य (मप्र) का एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। ज्यादातर राज्यों में इस पर सर्विस टैक्स नहीं है। जहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स 28% से ज्यादा है, वहाँ टिकट सस्ते होंगे। बाकी राज्यों में ये महंगे हो जाएंगे।

• ई-कॉमर्स कंपनियाँ 1% टीसीएस काटेंगी, पर ग्राहकों पर फर्क नहीं • घर बनाने की ज्यादातर चीजें महंगी, पर घर सजाने की चीजें सस्ती होंगी • आपको पता है कि चैरिटेबल संस्थाएं व सोसायटी टैक्स दायरे में हैं या नहीं?

(साभार : दैनिक भास्कर, 20.5.2017)

जीएसटी काउंसिल ने ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स तय कर दिए हैं। टुकड़ों में आई इस सूचना को पाठकों की सुविधा के लिए फिर से दिया जा रहा है। ताकि आप अपनी जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं के रेट एक जगह ही देख सकें.....

गुड्स : • स्टेंट और जीवन रक्षक दवाओं पर 5% अन्य दवाओं पर 12% टैक्स लगेगा, ब्लड और सुनने की मशीन पर टैक्स नहीं • ब्रांडेड अनाज और ड्रग फॉर्मूलेशन 5% टैक्स के दायरे में, चश्मे के लेंस पर 12% तो फ्रेम पर 18% टैक्स रेट लागू होगा।

0% गेहूँ, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी (मुरमुरे), खोई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट-मछली, शहद, ताजी फल-सब्जियाँ, प्रसाद, नमक, सेंधा/काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, गर्भनिरोधक, स्टांप पेपर, कोर्ट के कागजात, डाक विभाग के पोस्टकार्ड/लिफाफे, किताबें, स्लेट-पेंसिल, चॉक, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद, सभी तरह के गर्भनिरोधक, ब्लड, सुनने की मशीन।

5% ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय कॉफी, मिठाइयाँ, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, ड्राई फिश, न्यूजप्रिंट, ब्रोशर, लीफलेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस झाड़ू, क्रीम, मसाले, जूस, साबूदाना जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट, ब्लड वैक्सीन, हेपेटाइटिस डायग्नोसिस किट, ड्रग फॉर्मूलेशन, क्रच, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, लाइफबोट, हैंडपंप और उसके पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, ईंट, मिट्टी के टाइल्स, साइकिल-रिक्शा के टायर, कोयला, लिग्नाइट कोक, कोल गैस, सभी और (अयस्क) और कंसेंट्रेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस।

12% नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट, फ्रट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क जूस और दूध युक्त डिंक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन मीट-मछली, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो दवाएं, गॉज, बैंडेज, प्लास्टर, ऑर्थेपेडिक उपकरण, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी सुई, बायो गैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्रॉइंग और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस, पेंसिल शापेनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे और एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, आर्ट वर्क, मार्बल/ग्रेनाइट ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, फ्लाईएश की इंटें, कंघी, पेंसिल, क्रेयॉन।

18% हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्न फ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम-जेली, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड, शुगर कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसेंट्रेट, डायबेटिक फुड, निकोटिन गम, मिनरल वाटर, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर, अकाउंट बुक, नोटबुक, इरेजर, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन, पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक के ट्यूब, पाइप और घरेलू सामान, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना से बनी घरेलू चीजें, कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील के शीट -बार-एंगल-ट्यूब-पाइप-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर और जेनरेटर, ऑप्टिकल फाइबर, चश्मे का फ्रेम, गॉगल्स, विकलांगों की कार।

28% कस्टर्ड पाउडर, इंस्टैंट कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के सामान, डियोड्रेंट, हेयर डाइ/क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, मैनिक्योर/ पैडीक्योर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, एल्युमीनियम फ्वायल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, प्रिंटर फोटो कॉपी और फैक्स मशीन, लेदर प्रोडक्ट, विग, घड़ियां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, पेंट-वार्निश, पुट्टी, प्लाई बोर्ड, मार्बल/ग्रेनाइट (ब्लॉक नहीं), प्लास्टर, माइका, स्टील पाइप, टाइल्स और सेरामिक्स प्रोडक्ट, प्लास्टिक की फ्लोर कवरिंग और बाथ फिटिंग्स, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैंप, लाइट फिटिंग्स, एल्युमिनियम के डोर-विंडो फ्रेम, इनसुलेटेड वायर-केबल।

इन प्रोडक्ट्स पर 28% टैक्स के साथ सेस भी लगेंगे : छोटी कार : पेट्रोल : 4 मीटर से कम लंबी, 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता- • 1% सेस • कुल टैक्स 29% / **डीजल :** 4 मीटर से कम लंबी, 1500 सीसी से कम इंजन क्षमता- • 3% सेस • कुल टैक्स 31% / **अन्य सभी कार और एसयूवी :** • 15% सेस • कुल टैक्स 43% / **मोटरसाइकिल :** 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली: • 3% सेस • कुल टैक्स 31% / **कोल्ड ड्रिंक्स, लेमोनेड :** • 12% सेस ख कुल टैक्स 40% / **बिना तंबाकू के पान मसाले :** • 60% सेस • कुल टैक्स 88% / **तंबाकू वाला गुटखा :** • 204% सेस • कुल टैक्स 232% / **अन्य तंबाकू उत्पाद :** • 61-160% सेस • कुल टैक्स 89-188%

सर्विस : • थियेटर के 250 रु. से ज्यादा के टिकट पर 18% टैक्स लगेगा

0% नॉन-एसी ट्रेन टिकट, मेट्रो, बस, ऑटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक और चैरिटेबल सेवाएं, टोल, बिजली, रिहायशी घर का किराया, पीएफआरडीए, ईपीएफओ और ईएसआईसी की सेवाएं, म्यूजियम, नेशनल पार्क में एंट्री, जनधन और अटल पेंशन जैसी सरकारी योजनाएं, 1,000 रुपए तक किराये वाले होटल, दूध, नमक, आटा, दाल, चावल जैसी चीजों की ढुलाई।

5% ट्रेन या ट्रक से माल ढुलाई, एसी ट्रेन टिकट, कैब सेवा, विमान का इकोनॉमी क्लास का टिकट, टूर ऑपरेटर सविसेज, विमान की लीजिंग, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग।

12% रेलवे कंटेनर से सामान ढुलाई, विमान का बिजनेस क्लास का टिकट, नॉन-एसी रेस्तरां में खाना, रोजाना 1000-2500 रुपए किराये वाला होटल, कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, पेटेंट अधिकार का अस्थायी ट्रांसफर।

18% फोन बिल, बैंकिंग, बीमा और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज, एसी और शराब लाइसेंस वाले रेस्तरां, आउटडोर कैटरिंग में खाने की सप्लाई, रोजाना 2500-5000रु. किराए वाले होटल, सर्कस क्लासिकल और फोक डांस, थियेटर और ड्रामा के 250रु. से ज्यादा के टिकट, वक्से कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजिट सप्लाई।

28% सिनेमा टिकट, थीम पार्क, वाहर पार्क, मेरी-गो-राउंड, गोकार्टिंग, कैसिनी, रेसकोर्स, बैले, आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, फाइव स्टार या इससे अधिक रेटिंग वाले होटल के रेस्तरां, रोजाना 5,000 रुपए से अधिक रूम रेंट वाले होटल, गैंबलिंग। **(साभार : दैनिक भास्कर, 21.5.2017)**

महंगाई 2 प्रतिशत तक होगी कम, अर्थव्यवस्था पकड़ेगी रफ्तार

जीएसटी का लेखा-जोखा : जीएसटी को पहली जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है। जीएसटी परिषद की दो दिनों की बैठक में 500 से अधिक सेवाओं और 1,211 वस्तुओं के कर की दरें तय की जा चुकी हैं। परिषद की अगले सप्ताह फिर बैठक होगी, जिसमें सोना सहित कुछ अन्य उत्पादों के कर की दरें तय होंगी। इन सब के बीच, एक देश-एक कर के सिद्धांत पर आधारित इस कर प्रणाली को लेकर यह बहस भी जारी है कि जीएसटी का आर्थिक और उपभोक्ता जगत में क्या प्रभाव पड़ेगा? पेश है इसका लेखा-जोखा।

जीएसटी लागू होने के बाद भारत में मुद्रास्फीति की दर में दो प्रतिशत की गिरावट आयेगी और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। यह राजस्व सचिव हसमुख अधिया का मानना है। उनकी राय है कि वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद भारत में आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार की जमीन तैयार हो चुकी है।

सरकार इस परिस्थिति का भरपूर लाभ जनता को देने और उसके उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ग्राहकों को जीएसटी के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलायेगी, ताकि उन्हें व्यापारी नये कर के नाम पर चूना ने लगा सकें। अधिया के मुताबिक जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह भी बैठक होगी, जिसमें लंबित उत्पादों की दरें तय की जायेंगी। इन वस्तुओं में सोना, बीड़ी और बिस्कुट जैसी चीजें शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह परिषद की दो दिन की बैठक में 500 से अधिक सेवाओं और 1,200 वस्तुओं की दरें तय की गयीं थी। इन वस्तुओं और सेवाओं को 05, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है।

राजस्व सचिव ने कहा, जीएसटी पर जागरूकता अभियान चलेगा

मौजूदा कर प्रणाली में वस्तुओं की लागत ज्यादा होने से मुद्रास्फीतिक दबाव : मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की लागत ऊँची पहुँच जाती है, लेकिन जीएसटी लागू हो जाने के बाद व्यवस्था में कारोबार करने की लागत घटेगी। अभी करदाताओं और उपभोक्ताओं को एकल बिकी पर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को कर देना पड़ता है, जिससे कारोबार और उपभोक्ता के लिए लागत बढ़ जाती है। इस तरह की लागत वृद्धि की वजह से मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ता है।

बेहतर अनुपालन और कारोबार सुगमता से अर्थव्यवस्था को रफ्तार : राजस्व सचिव अधिया के मुताबिक जीएसटी में राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकल बिक्री कर होगा। इसमें विभिन्न केन्द्रीय और राज्य कर समाप्त हो जायेंगे। अधिया ने वादा किया कि क्रियान्वयन के दौरान अनुपालन को लेकर यदि कोई मुद्दा उठेगा, तो उसे दूर किया जायेगा। राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में बेहतर अनुपालन और कारोबार सुगमता से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी।

ज्यादातर दर पुराने स्तर पर : राजस्व सचिव हसमुख अधिया के मुताबिक कराधान की जो दरें तय की गयी हैं, उससे ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के लिए दरें या तो कम हुई हैं या उसे उसी स्तर पर रखा गया है। राजस्व सचिव अधिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं लगता कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ेगी। हमने इस पर विशेष ध्यान दिया है कि मुद्रास्फीति न बढ़े। हमारा आंतरिक अनुमान है कि दरों पर फैसला होने के बाद वास्तव में मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घटेगी।

एसोचैम बोला : जीएसटी मोदी सरकार की सबसे बडी सफलता : प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्ववाली एनडीए सरकार की पिछली तीन वर्ष की विभिन्न उपलब्धियों में जीएसटी 'सबसे बड़ी सफलता' है, औद्योगिक संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य उपलब्धियों में वित्तीय समावेशन के प्रयास और कराधान पर उठाये गये कदम भी शामिल हैं, मोदी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे है। एसोचैम ने मौजूदा सरकार की आर्थिक क्षेत्र में की गयी पहलकदमियों पर एक रपट जारी की है। उद्योगमंडल ने देश की अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे में बदलाव लाने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों की तारीफ की जिनमें रेलवे और बिजली वितरण जैसी बुनियादी प्रोजेक्ट्स पर बढ़ा सार्वजनिक निवेश, डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन जैसे विश्वसनीय कदम शामिल है।

कोयले पर जीएसटी की दर कम इस्पात क्षेत्र को लाभ की उम्मीद : जीएसटी में कोयले को सबसे निचले यानी पाँच फीसदी के कर स्लैब में रखा गया है। इससे इस्पात क्षेत्र की लघु एवं मझोली इकाइयों को उम्मीद है कि उनका उत्पादन और मुनाफा मार्जिन बढ़ेगा। कोयले पर कर की दर को 11.69 प्रतिशत से घटा कर पाँच प्रतिशत किया गया है। इस्पात विनिर्माण में कोयले का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। उद्योग सदस्यों का कहना है कि इस कदम से इस्पात क्षेत्र की लघु एवं मझोली इकाइयों को अपना मुनाफा मार्जिन और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शुरुआती दौर में टीवी, फ्रिज व एसी की बिक्री में गिरावट का अंदेशा : टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों को जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई-अगस्त में टीवी, रेफ्रिजरेटर और एसी की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा

है, क्योंकि जीएसटी के बाद इनके दाम 4-5 प्रतिशत बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें आगामी त्योहारी सीजन में बड़ी मात्रा में माल बिकने की भी उम्मीद है। जीएसटी लागू होने की वजह से कंपनियों के व्यापार सहायकों का इनपुट कर बढ़ सकता है। हालांकि इसे बिक्री मूल्य बढ़ा कर ठीक किया जा सकता है।

(साभार : प्रभात खबर, 22.5.2017)

जीएसटी में पंजीकरण पहली जून से

- **सेवा कर, उत्पाद शुल्क और वैट के जिन असेसी ने अब तक जीएसटी के लिए माइग्रेशन नहीं किया है, क्या उन्हें एक और मौका मिलेगा? वैट के मौजूदा असेसी किस तरह माइग्रेशन कर सकते हैं?**

– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर और वैट के असेसी के माइग्रेशन की प्रक्रिया समान है। संबंधित कर विभाग अपने असेसी को अस्थायी आईडी और पासवर्ड देंगे। इससे वे जीएसटी के कॉमन पोर्टल जीएसटी.जीओवी.इन पर लॉग इन कर सकते है। जहाँ उनको अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म आरईजी- 20 को भरकर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। माइग्रेशन और एनरोलमेंट यानी पंजीकरण की प्रक्रिया फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है। इसे एक जून, 2017 को 15 दिन के लिए फिर खोला जाएगा। इसलिए आप अपने जरूरी कागजात तैयार रखें। अधिक जानकारी के लिए आप जीएसटी का कॉमन पोर्टल देख सकते हैं।

- **जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) क्या है और इसका प्रावधान क्यों किया गया है? क्या दूसरे देशों में भी ऐसा प्रावधान है?**

ई-वे बिल एक प्रकार का दस्तावेज है जो कि माल की ढुलाई के पूर्व ऑनलाईन तैयार किया जाता है। इससे माल का परिवहन बिना किसी अवरोध के हो सकेगा, क्योंकि खेप के संबंधित सभी ब्योरे कर विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध होंगे, जिससे उनका कहीं भी सत्यापन किया जा सकेगा। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य सभी चेकपोस्टों को हटाना है। अन्य देशों में भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और तकनीकों के माध्यम से वाहनों के संबंध में सुचनाएँ लेने के लिए विभिन्न उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

- **जीएसटी लागू होने के बाद अगर किसी डीलर के पास स्टॉक पड़ा है तो उस स्टॉक पर उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? ऐसे व्यापारियों को क्या करना चाहिए?**

मौजूदा कर व्यवस्था से जीएसटी की व्यवस्था में जाने के लिए यह ट्रांजिशनल प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि असेसी निर्धारित दिन के स्टॉक से संबंधित शुल्क/कर के लिए इनपुट क्रेडिट प्राप्त कर सके। असेसी द्वारा दिए गए अपने पिछले रिटर्न में बैलेंस क्रेडिट जीएसटी के अंतर्गत असेसी के लिए भी क्रेडिट के रूप में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा यदि शुब्क-भुगतान दस्तावेज उसेसी के पास उपलब्ध रहेंगे तो उसके पास रहने वाले स्टॉक पर पूर्ण क्रेडिट मिल सकेगा। अन्यथा शुल्क भुगतान दस्तावेज के उपलब्ध न होने पर उपना ही क्रेडिट दिया जाएगा जितना कि वाजिब समझा जाएगा। इसकी प्रक्रिया या पद्धति जीएसटी के ट्रांजिशन नियमों के साथ-साथ सीजीएसटी एक्ट- 2017 में दी गई है।

- **अगर कोई डीलर किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति के लिए एडवांस देता है तो क्या उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा?**

अग्रिम रूप से भुगतान किए गए कर पर इनपुट क्रेडिट तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि प्राप्तकर्ता को सभी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त नहीं हो जाती हैं और सीजीएसटी एक्ट - 2017 की धारा 16 में दी गई सभी चारों शर्ते पूरी नहीं हो जाती है।

– उपेन्द्र गुप्ता कमिश्नर
जीएसटी पॉलिसी विंग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)
वित्त मंत्रालय

15 दिन के लिए माइग्रोशन और एनरोलमेंट की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने जा रही है। इसलिए अपने जरूरी कागजात तैयार रखें।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.5.2017)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
वाणिज्य-कर विभाग में निबंधित व्यवसायी कृपया ध्यान दें।

राज्य में दिनांक 1 जुलाई 2017 से माल और सेवा कर प्रणाली लागू होना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में राज्य के निबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि

1. यदि आपने अपने विवरणियों में राज्य के बाहर निबंधित प्रतिष्ठनों को अर्न्तराज्यीय बिक्री अथवा स्टॉक अन्तरण दर्शाते हुए केन्द्रीय बिक्री कर से रियायत का दावा किया है तो शीघ्र दावे के समर्थन में वांछित केन्द्रीय प्रपत्र संबंधित अंचल में दाखिल कर दें।
2. यदि आपने राज्य के बाहर से अर्न्तराज्यीय क्रय अथवा स्टॉक अन्तरण प्राप्त किया है और उसके लिए केन्द्रीय प्रपत्र प्राप्त करना है, तो शीघ्र केन्द्रीय प्रपत्रों के लिए ऑन लाईन आवेदन संबंधित अंचल में करें।

कृपया उपरोक्त कार्रवाई शीघ्र कर भविष्य में संभावित कठिनाई से बचें।

आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.5.2017)

महंगे होटलों में ग्राहकों की जेब होगी हल्की

अब 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले महंगे होटलों में रहना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में इन्हें 28 प्रतिशत सेवा कर की श्रेणी में रखा गया है। विशेषज्ञ इसे एक अनावश्यक कदम मानते हैं, खासकर ऐसे समय में जब महानगरों और इससे छोटे शहरों में होटलों में कमरे अब भरने लगे हैं। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 22.5.2017)**

जीएसटी पर होटलों में भ्रम की स्थिति

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर घरेलू होटल उद्योग में भ्रम की स्थिति है। दरअसल ये होटल गतिशील मूल्य नीति पर चलते हैं और समय-समय पर ग्राहकों के लिए छूट की पेशकश करते हैं। अब वे इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि होटल के कमरों के अंकित किराये पर जीएसटी कर लगेगा या फिर उस किराये पर जिस पर इसे उपभोक्ता को दिया गया है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 22.5.2017)

कपड़े पर जीएसटी में अभी कई पचड़े

कपड़ा क्षेत्र को लेकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में सहमति नहीं बन सकी, जिससे दरों की घोषणा को 3 जून के लिए टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले को टालने की वजह पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला में जटिलताएं और पूरी श्रृंखला में कपड़े पर कर की दरें पहले के स्तर पर बनी रहने की उद्योग की उम्मीदें हैं। कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि कपड़ा मूल्य श्रृंखला के अलग-अलग खंडों में अलग-अलग दरें हैं। कुछ पर कर लगता है और कुछ पर नहीं, जिससे कर चोरी हो रही है और असंगठित क्षेत्र फल-फूल रहा है। इसके अलावा देश में सूती कपड़े का ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि वैश्विक स्तर पर मानव निर्मित कपड़े का दबदबा है।

ब्रांडेड परिधान, दीजिए ज्यादा दाम : अगली बार जब आप अपने पसंदीदा ब्रांडेड स्टोर में जाएंगे तो डिजाइनर जीन्स और ब्रांडेड टी-शर्ट के लिए ज्यादा दाम चुकाने को तैयार रहें। नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी के तहत बांडेड परिधानों और अन्य तैयार कपड़ा उत्पादों पर कर का बोझ बढ़ाकर 18 फीसदी किए जाने से उनकी कीमतें बढ़ने के आसार हैं।

हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किस तरह के ब्रांडेड परिधानों पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा और नई कर प्रणाली के तहत असल में ब्रांडेड किसे माना जाएगा? इस वजह से उद्योग से जुड़े कारोबारी चिंतित हैं। स्पाइकर लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के सीओओ संजय वखारिया ने कहा, 'इसका बड़ा असर होगा क्योंकि इस कारोबार पर कर का बोझ वर्तमान समय की तुलना में बढ़ेगा। इससे निश्चित रूप से ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। ब्रांडेड की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। मेरा मानना है कि सभी ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे, भले ही वे घरेलू हों या विदेशी।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 20.5.2017)**

HOW INDIA PICKS ITS PRESIDENT

Only elected MPs and MLAs can vote in the presidential polls, with each vote carrying value proportionate to the size of the population the lawmaker represents.

THE VOTE PIE

- **10,98,882** Total votes • **5,49,442** Majority mark
- **1,59,038 Undecided** (ADMK, BJD, TRS, YSRCP, AAP, INLD)
- **4,02,230** Opposition (Congress, Trinamool, Samajwadl Party, CPIM, BSP, JDU, RJD and 14 other parties)
- **5,37,614 NDA** (BJP, Shiv Sena, TDP, Akali Dal, LJP, PDP, RLSP, BPF, NPF, AGP and 10 others)

POSSIBLE SCENARIOS

- **5,96,838** Votes NDA wins (NDA+ AIADMK)
- **5,49,814** Votes Opposition wins (Opposition + Shiv Sena+ AIADMK+ BJD + AAP + YRSCP)
- **5, 48,270** Votes Still requires 1,200 votes (NDA - Shiv Sena + BJD)

PREZ POLL FACTOIDS

- Unlike normal voting where party symbols are mentioned against candidates' names, the ballot paper for the presidential polls does not contain any symbol but only names and order of preference
- No nominated MP can participate in the presidential vote as they are nominated to the Rajya Sabha by the President himself. No party can issue a whip to its legislators to vote for a candidate
- MLAs cast their votes in their state assemblies MPs can cast their votes either in Parliament or their states

THE MATHS

How the value of an MLA's vote is computed : Total population of state as per the 1971 Census/(1,000 x no. of MLAs in the state) **FOR EXAMPLE :** Value of an MLA's vote in Delhi will be: **40,65,698/(1,000X70) = 58**

How the value of an MP's Vote is comouted : The Upper House and the lower House have 776 members (543 - Lok Sabha), (233 - Rajya Sabha)

776 - members • Value of each Vote = 5,49,474*/776= 708

- The total Value of votes of all the states, Calculated by the total number of legislative assembly seats (31 states & Union territories) x the value of each MLA
- Total value of votes of 776 members of parliament = **708 X 776 = 5,49,408**
- **Total Voter's in the electoral college – 4,120****MLAs, **776**MPs, **4,896** Electors
- ** Total number of legislative assembly seats in the country
- Total Value of 4,896 electors for the presidential polls of 2012

5,49,474 MLA votes + 5,49,408 MP votes = 10,98,882 votes

The electoral college figures for the presidential election this year will change as the Election Commission will account for Telangana and Andhra Pradesh separately. Around 500votes are likely to be added over the 2012 number as a result, sources said.

(Source - Hindustan Time, New Delhi, 21.5.2017)

RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

ND . ID. (Res.). No.4530/04. 00.001/2016-17 April 25, 2017

The Controlling Head
All Banks under the Jurisdiction
of New Delhi Issue Circle

Madam/ Dear Sir,

SCRIBBLING ON BANKNOTES

Of late, we have been receiving complaints from members of general public that majority of the bank branches are not accepting banknotes, specifically in the denomination of Rs. 500 and Rs 2000, with anything written/ colour on them and banknotes whose colour has faded due to washing or any other reason.

2. It has been reported that the bank branches are refusing to accept the scribbled / coloured / faded Banknotes in wake of rumours circulating in the social media that such banknotes will not be accepted in the banking channel. The Reserve Bank, vide Press Release No. 2013-2014/1311 dated December 31, 2013 (copy enclosed), urged members of public and bank officials not to write anything on banknotes as it went against the Reserve Bank's Clean Note Policy. However, it is also clarified that scribbled / coloured / faded banknotes are to be accepted from members of general public by all banks and the same may be treated as soiled notes.

3. All the controlling Heads are advised to instruct their bank's branches to follow the above instructions scrupulously and not refuse to accept such banknotes from the customers. Failure to comply with the instructions would be viewed seriously and may invite punitive action.

Yours faithfully,
Sd/-
(G. C. Talukdar)
General Manager
Encl. : As above

Issue Department, 6, Sansad Marg, New Delhi - 110 001

सोने पर जीएसटी दर फिर से अटकी

जीएसटी परिषद ने सोने पर जीएसटी की दर का फैसला 3 जून को होने वाली बैठक के लिए टाल दिया है। इसकी वजह यह है कि दर को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक राज्यों के बीच मतभेद बरकरार हैं। सोने की खपत वाले राज्य आभूषणों पर 2% जीएसटी तय किए जाने पर जोर दे रहे थे, जबकि अन्य राज्य 5% कर को लेकर सहमत थे। परिषद ने आम सहमति की दर के रूप में 4% का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 20.5.2017)**

विनम्र निवेदन

वर्ष 2017-18 के सदस्यता शुल्क का भुगतान अधिकांश सदस्यों ने कर दिया है। कृपया अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेज कर अनुगृहित करें।

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org